"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ सगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/:)2."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2002—कार्तिक 4, शक 1924

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक /डी-5233/479/2002/आजावि.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 हैं.
(दो) यह 1 नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथासंशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" एवं शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "रायपुर" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनिमय, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1969.
2.	मध्यप्रदेश आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिकीय) भर्ती नियम, 1994
3.	मध्यप्रदेश आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा भर्ती नियम, 1993.
4.	मध्यप्रदेश आदिमजाति एवं हरजिन कल्याण अधीनस्थ सेवा-वर्ग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1972.
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995.
6.	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह योजना नियम, 1988.
7.	मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजति ऋण सहायता नियम, 1963.
8.	राज्य छात्रवृत्ति नियम, 1972.
9.	छात्रावास नियम, 1966-67
10.	पो. मे. छात्रवृत्ति नियम, 1998.
11.	विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम, 1984.
12.	आदिवासियों को कानूनी सहायता नियम, 1960.
13.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम, 1979
14.	मध्यप्रदेश आकस्मिकता योजना नियम, 1995.
15.	नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977.
16.	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति ऋण निवारण विनियम, 1962.
17.	रेग्यूलेशन्स गवर्निंग द एवार्ड आफ स्कालरशिप्स, 1995.
18.	अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 1985.
19.	मध्यप्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1978 (यथा संशोधित).

(1)	(2)
20.	आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य छात्रवृत्ति नियम, 1984.
21.	मध्यप्रदेश हरिजन बस्ती विकास नियम, 1989.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक /डी-5234/479/2002/आजावि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक /ड़ी-5233/479/2002/आजावि दिनांक 26 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th October 2002

NOTIFICATION

No.D/5233/479/TDD/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2000.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time specified in the Schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all " the Laws for the words "Madhya Pradesh" and "Bhopal" wherever they occur the word "Chhattisgarh and "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certifiacte or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh, Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 1969.
2.	Madhya Pradesh, Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Subordinate Service, (Class III-Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1964.
3.	Madhya Pradesh, Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Subordinate Class III-Ministerial Service Recruitment Rules, 1993.
4.	Madhya Pradesh, Tribal and Harijan Welfare Subordinate Service-Cadre Class IV Service Recruitment Rules, 1972.
5.	Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prvention of Atrocities) Rules, 1995.
6.	Madhya Pradesh Anusuchit Jati Samuhik Vivah Yojna Niyam, 1988.
7.	Madhya Pradesh Ansuchit Jan Jati Rin Sahayata Niyam, 1963.
8.	Rajya Chhatravritti Niyam, 1972.
9.	Chhatravas Niyam, 1966-67.
10.	Post Matric Chhatravritti Niyam, 1998.
11.	Vidyarthi Kalyan Sahayata Niyam, 1984.
12.	Adivasiyon ko Kanooni Sahayata Niyam, 1960.
13.	Anusucit Jati Evam Anusuchit Jan Jati Rahat Yojna Niyam, 1979.
14.	Madhya Pradesh Akasmikta Yojna Niyam, 1995.
15.	Protection of Civil rights Rules, 1977.
16.	Madhya Pradesh Anusuchit Jati/Jan Jati Rin Nivaran Viniyam, 1962.
17.	Regulations Governing the Award of Scholorships, 1995.
18.	Ashaskiya Sanstha Anudan Niyam, 1985.
19.	Madhya Pradesh Asprishyata Nivaranarth Antarjatiya Vivah Protsahan Yojna Niyam, 1976 (Yatha Sanssodhit).

(1)	(2)
20.	AdimJati, Harijan Evam Pichhda Varg Kalyan Vibhag Ke Chhatravritti Niyam, 1984.
21.	Madhya Pradesh Harijan Basti Vikas Niyam, 1989.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. DWIVEDI, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.